

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।
पत्रांक 897/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक- 22-09-2018.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:- जपनद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में में0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम-कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण एवं 5715 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय के पत्रांक-28/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-03.07.2018, आपके कार्यालय के पत्रांक-521/मी0क्षे0/33 दिनांक-01.08.2018 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक-349/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/आई0एन0डी0/23246/ 2016 दिनांक-19.08.2018.

महोदय,

अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक-28/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-03.07.2018 द्वारा विषयक प्रकरण का प्रस्ताव तैयार कर, चार प्रतियों में आपके कार्यालय में प्रेषित किया गया था। जिसे आप द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-521/मी0क्षे0/33 दिनांक-01.08.2018 से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया गया, उक्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा ने अपने पत्र संख्या-349/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/ आई0एन0डी0/23246/2016 दिनांक-19.08.2018 द्वारा प्रस्ताव में 17 बिन्दुओं पर आपत्ति/कमियां का उल्लेख करते हुए, आपत्ति निराकरण करने का निर्देश दिया गया था, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक-569/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-24.08.2018 द्वारा आपत्तियों का निराकरण हेतु प्रस्तावक विभाग से अनुरोध किया गया। प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या-06.09.2018 (जो इस कार्यालय में दिनांक-19.09.2018 को प्राप्त है) द्वारा आपत्ति का निराकरण कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। अतः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा लागयी गयी आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	प्रस्तावित वन भूमि का 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न हैं, किन्तु प्रस्तावित स्थल को हाई लाइट से चिन्हित नहीं किया गया है।	प्रस्तावित वन भूमि का 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र में प्रस्तावित स्थल को हाई लाइट से चिन्हित कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 94 पर संलग्न आरक्षित वन भूमि की प्रीमियम एवं लीज रेंट उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार स्पष्ट रूप से नहीं हैं। अतः प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की पूर्ण एवं स्पष्ट वचनबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो संलग्न करें।	प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट के भुगतान के सम्बन्ध में प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या 134 पर संलग्न है।
3.	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न हैं, किन्तु सारांश में वृक्षों के प्रजातिवार वैधानिक नाम का उल्लेख नहीं किया गया है तथा सारांश में ऑनलाइन भाग-2 के अनुसार Grith wise सूची नहीं है।	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची के सारांश में वृक्षों का प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम का उल्लेख कर दिया गया है तथा ऑनलाइन भाग-2 के अनुसार Grith wise सूची कर दिया गया है।


१

1	2	3
4.	ऑनलाइन भाग-2 में 30 सेमी0 से अधिक ब्यास के 717 वृक्षों का ही उल्लेख किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण हैं। अतः इस विषमता को दूर करते हुये त्रुटि रहित सूची संलग्न कर तदानुसार ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	ऑनलाइन भाग-2 में 30 सेमी0 से अधिक ब्यास के वृक्षों की विषमता को दूर कर दिया गया है, जो पृष्ठ संख्या 214-215 पर संलग्न है।
5.	प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि (115.874 हे0) के स्थान पर केवल 87 हे0 गैर वनभूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न हैं एवं सारांश में अवनत भूमि का उल्लेख किया गया है तथा सारांश में प्रत्येक चरणों की वास्तविक धनराशि को सम्मिलित न कराते हुये Round में धनराशि को सम्मिलित करते हुये योगफल किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण हैं। अतः प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न करते हुये ही सारांश संलग्न करें।	प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन पृष्ठ संख्या 194-207 पर संलग्न है।
6.	ऑनलाइन भाग-2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का बिना सत्यापित किये ही रंगीन टोपीशीट अपलोड की गयी है। अतः सत्यापित रंगीन टोपीशीट अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का सत्यापित रंगीन टोपीशीट ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है।
7.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु 115.874हे0 गैर वन भूमि के सापेक्ष केवल 87हे0 गैर वन भूमि ही वनीकरण हेतु उपयुक्त बताया गया है, तथा इसके अतिरिक्त संलग्न प्रमाण पत्र में चयनित स्थल को अतिक्रमण एवं अधिभार से मुक्त के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में संशोधित उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या 208-210 पर संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवशेष 28.874 हे0 गैर वनभूमि का चयन कराकर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, इससे सम्बन्धित Geo Referenced Digital Map, SOI Toposheet, kml dile एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड करें।	इस बिन्दु के सम्बन्ध में सूचना पृष्ठ संख्या 210 पर संलग्न प्रमाण पत्र से स्पष्ट है।
9.	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 109 पर संलग्न प्रमाण पत्र में 1.0 किमी0 की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण/रिजर्व बाघ/हाथी कोरिडोर न होने का उल्लेख है। क्या भारत सरकार द्वारा 1 किमी0 की परिधि को Eco Sensitive Zone घोषित किया है? यदि हाँ तो उसकी प्रति संलग्न करें अथवा प्रस्तावित स्थल 10 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत होने के कारण राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड/राज्य वन्यजीव बोर्ड से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करते हुये पावती प्रस्ताव में संलग्न करें।	Eco Sensitive Zone के सम्बन्ध में भारत सरकार का राजपत्र दिनांक-20.03.2017 की प्रति पृष्ठ संख्या 146-178 पर संलग्न है।
10.	हार्ड कापी भाग-2 के क्रमांक -7(viii) में विवरण त्रुटिपूर्ण अंकित है। अतः उचित विवरण फीड करें।	हार्ड कापी भाग-2 के क्रमांक-7 (viii) में उचित विवरण फीड कर दिया गया है।
11.	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक 5 व 6 में उचित डाटा फीड नहीं किया गया है।	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक 5 व 6 में डाटा फीड कर दिया गया है।

9

1	2	3
12.	ऑनलाईन भाग-2 के Additional Information Detail में कोई प्रामाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है। अतः सभी आवश्यक प्रामाण पत्र अपलोड करें।	ऑनलाईन भाग-2 के Additional Information Detail में प्रामाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
13.	ऑनलाईन भाग-2 व हार्ड कापी भाग-2 में जिला प्रोफाइल में 1980 से वनेन्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र भिन्न-भिन्न अंकित किया गया है। अतः एक समान उचित क्षेत्र अंकित करें।	ऑनलाईन भाग-2 व हार्ड कापी भाग-2 में जिला प्रोफाइल में 1980 से वनेन्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र एक समान अंकित कर दिया गया है।
14.	प्रस्ताव के सभी पृष्ठों पर क्रमवार पृष्ठ संख्या अंकित नहीं हैं। अतः अंकित करते हुये संशोधित विषय सूची संलग्न करें।	प्रस्ताव के सभी पृष्ठों पर क्रमवार पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए विषय सूची संशोधित कर दिया गया है।
15.	प्रस्ताव में संलग्न प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा जाने वाला भाग-2 व मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाने वाला भाग-3 में संस्तुति नहीं की गयी है। अतः संस्तुति करते हुये ऑनलाईन भाग-2 में अपलोड करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा जाने वाला भाग-2 में संस्तुति कर दिया गया है।
16.	ऑनलाईन भाग-2 के क्रमांक -13 (i) में Present Qwner File के Column में अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है।	ऑनलाईन भाग-2 के क्रमांक -13 (i) में Present Qwner File के Column में अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
17.	प्रस्ताव में 5715 वृक्षों के पातन की अनुमति का उल्लेख किया गया है। अतः स्पष्ट करें कि क्या विषयगत परियोजना में 5715 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है? ऐसी जानकारी प्राप्त हुयी है कि वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	उक्त सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक-06.09.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण में उल्लिखित 5715 वृक्षों का पातन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं किया जाना है।

अतः प्रश्नगत प्रस्ताव चार प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने स्तर से उच्च स्तर पर प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

 (मूल चन्द)

प्रभागीय वनाधिकारी,
 ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।